दलित महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पर राज्य स्तरीय जन सुनवाई साक्ष्य एकत्र करने हेतु प्रपत्र

1- पीड़िता का नाम :– **नुतन कुमारी** उम्रः– **17 वर्ष**

2- उत्तरदाता का नामः–**माया देवी** पीडिता से संबंधः–**पुत्री**

3- वैवाहिक स्थितिः–**अविवाहित**

4- पिता/पति/माता का नामः–**पिता–उपेन्द्र राम, माता–माया देवी**

5- पताः– टोलाः–**चमरटोली** गांवः–**काजी रसलपुर**, पंचायतः–**काजी रसलपुर**, थाना :–**भगवानपुर,** प्रखण्डः–**भगवानपुर,** जिलाः–**बेगूसराय।**

6- घटना की तिथिः–**03.07.2007** अवधिः–**20.03.2004 (3 वर्ष)**

7. क्या शिकायत दर्ज किया गयाः–हाँ

8- यदि हां तो कबः–**06.07.2007** कहाँः–**मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेगूसराय**

9. यदि ना तो क्योंः–

10- पीड़िता की समाजिक आर्थिक स्थिति का विवरणः– **मजदूरी कर जीवन–यापन करना, भूमिहीन घर की स्थिति बहुत कमजोर, एक भाई–एक बहन, माता–पिता, भाई–भाभी एवं उनके दो बच्चे, परिवार की कुल संख्या–7, गाँव में धोबी, चमार, मुसलमान, पासवान, यादव, भूमिहार आदि समुदाय के लोग है जिसमें यादव समुदाय की संख्या बाहुल्य है।**

11- घटना का विवरण (कब, कहाँ, कौन, क्यों, कैसे):– **दस बजे रात्री दिन गुरूवार दिनांक 03.07.2007, को अपने आँगन में अपनी माता के साथ खाट पर सोयी हुई थी, बबलू सिंह, पिता सत्य नारायण सिंह, उम्र–40 वर्ष, ग्राम–काजी रसलपुर, थाना–भगवानपुर, जिला–बेगूसराय। इन्द्राआवास बनाने में पीड़िता की माता अपने ग्रामीण बबलू सिंह मुदालय से दो हजार ईंटा उधार लिया किमत 4000 रूपये का बिना सूद पर देने के बात कही गई थी पीड़िता की माता कुछ दिनों के बाद 4000 हजार रूपये दे दिया, रूपये लेने के बाद उसके नियत में बेईमानी होने लगी और उत्तरदाता के जबान बेटी पीड़िता पर गलत नियत से सूद का दावा कर घटना किया। उत्तरदाता अपनी पुत्री पीड़िता के साथ खाट पर अपने आँगन में सोयी हुई थी उस रात काफी गर्मी थी, रात्री के दस बज रहा थे उसी समय लालटेन की रोशनी पर देखा कि बिछाबन के पास मेरी बेटी के बगल में मुदालय बबलू सिंह अपने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था और एक अज्ञात मुदालय मेरी बेटी के पैर के तरफ खडे थे। यह कि मुदालय बबलू सिंह नशे की हालत में था गाली**

देते हुए कहा यै चमैनिया अभी 17000 रूपया जमा कर उस पर पीड़िता की माता बोली मेरा पति और बेटा परदेश में है काम करके पैसा लाएगा तो दे सकती हूँ किन्तु आप लोग अन्याय कर रहे है इसी पर मुदालय बबलू सिंह एवं उसके साथ अज्ञात व्यक्ति मेरी बेटी पीड़िता को खींचकर इज्जत लूटने के नियत से घर के उत्तर गढ्ढे की ओर ले गया और दुष्कर्म किया जिससे पीड़िता के शरीर का कपड़ा फट गया मुदालय के नाखुन का निशान पीड़िता के शरीर पर अभी भी है। पीड़िता को बचाने भाभी (रेणु देवी) गई तो उसे भी खींच कर ले जाने लगा तभी हल्ला सुनकर काफी लोग टॉर्च लेकर घटना स्थल पर पहुँचे तो देखा कि मुदालय पिस्तौल लिये उत्तर की ओर भाग गया।

12- हिंसा के प्रकार– घरेलु हिंसा, ढांचागत हिंसा, जाति हिंसा, (शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, यौनिक उत्पीड़न आदि):– **जाति हिंसा–शारीरिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न मानसिक उत्पीड़न एवं यौनिक उत्पीड़न आदि सभी प्रकार के उत्पीड़न से गुजरना पड़ा, समाज के बीच घृणित भावना से देखना।**

13. <u>घटना के बाद की गई कार्रवाई का ब्यौरा।</u>

- क्या कानुनी पहल किया गया (धारा इत्यादि के साथ):–**हाँ कानुनी पहल किया गया धारा–452, 323, 504, 427, 376, 511, भा0 द0 वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम एवं 3;गद्ध एस0 सी0/एस0 टी0 एक्ट।**
- कब और कहां शिकायत दर्ज कराया गया:– **06.07.2007 को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बेगूसराय नालसी वाद संख्या–1541 सी/2007 दर्ज कर अनु0 जा0/ज0जा0 थाना–बेगूसराय भेजा गया जिसका केस नं0 79/2008, (सेसन नं0 620/10) है।**
- किन परेशानियों से गुजरना पड़ा:– **मुदालय के दबंग होने के नाते ओ0 पी0 केस नहीं लिया न्यायालय में जाकर केस कर अनु0 जा0/ज0जा0 थाना–बेगूसराय भेजा गया तब अपने क्षेत्रीय थाना भगवानपुर घटना जाँच करने आए। काफी मानसिक, आथिक, शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ा।**

14. घटना की ताजा स्थिति:–

- प्रशासन ने क्या–क्या कार्रवाई किया:– **प्रशासन घटना की जाँच–पड़ताल किया, गाँव के लोगों से पूछताछ किया लेकिन मुदालय के दबंग होने के कारण समय से गिरफ्तार नहीं किया एवं मुदालय से रूपये लेकर चुपचाप बैठ गया, मुदालय खुले–आम चौक चौराहे घुमते रहा।**

- क्या वह कार्रवाई संतोषजनक थी (संक्षिप्त विवरण):– **प्रशासन की कार्रवाई असंतोष जनक रहा मुदालय खुलेआम चौक चौराहा घुमते रहा लेकिन ससमय गिरफ्तार नहीं किया गया जिससे पीड़िता के परिवार हमेशा भयभीत रहा करता था।**
- केस वापस लेने के लिए क्या कोई दबाव डाला गया (परिवार, प्रशासन, समाज या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा):– **मुदालय की ओर से केस वापस लेने के लिए धमकी एवं गवाह को केस कमजोर करने वास्ते गवाही नहीं देने की धमकी देता है।**

15- पीड़िता पर घटना का प्रभाव (व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक):–**व्यक्तिगत, आर्थिक स्थिति कमजोर होने से कठिनाई, पूरे परिवार के प्रतिष्ठा पर ठेस, सामाजिक रीति–रिबाज के अनुसार पीड़िता के विवाह में काफी परेशानी एवं केस के कारण घर का स्थिति दयनीय।**